राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
राज्य स्तरीय नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) चयन सेवा आयोग
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302013

चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश

(आवेदक इन निर्देशों को अपने पास रखे ले)

1. आवेदन–पत्र भरना–आवेदक आवेदन पत्र भरने से पूर्व इन निर्देशों एवं विज्ञापन को ध्यान पूर्वक पढ़ें । इनमें दी गई सूचना एवं निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।
   नोटः– आवेदक आवेदन–पत्र स्वयं के हस्तलेख में भेरे। आवेदन–पत्र निर्देशानुसार व बिना किसी प्रकार की काट–छाँट के भरा जाए। प्रत्येक कॉलम में चाही गई सूचना पूर्ण एवं स्पष्ट हो। सभी उत्तर शब्दों या अंको में दिए जाएं, रेखा या बिन्दु के द्वारा नहीं। कोई आवश्यक कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, आवेदन–पत्र अपूर्ण मानकर रद्द किया जा सकता है। आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिये जाएंगे। आवेदन–पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त आवश्यक (जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि) व विशेष छूट या लाभ के दावे (जैसे आयु सीमा में छूट की हकदारी आदि) सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियों आवेदन–पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य भेजें। आवेदन पत्र पर अपना पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो (विज्ञापन जारी दिनांकके पश्चात् का खिंचा हुआ) निर्धारित स्थान पर संलग्न कर पूर्ण हस्ताक्षर सहित लगाएं। आवेदक द्वारा किसी भी अवस्था में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन–पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए। आवेदक द्वारा विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन–पत्र, नवीनतम फोटो, आदि के साथ आयोग द्वारा निर्देशित कार्यालय में निर्धारित तिथि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सुविधा व सुलभ संदर्भ हेतु भरे हुए आवेदन–पत्र की फोटो प्रति रख लेनी चाहिए।
2. प्रमाण–पत्र :– समस्त आवश्यक व वांछनीय प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां (शैक्षणिक योग्यता/आयु/आचरण/जाति/निःशक्तता/वैवाहिक स्थिति/भूतपूर्व सैनिक, एवं उत्कृष्ठ खिलाड़ी संबंधी प्रमाण–पत्र आदि) इस विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर लाना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थियों को नियुक्ति का पात्र पद या वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियां निम्न क्रमानुसार आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें :–
   (क) योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र :– (1) आपको अपनी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता की अंक–तालिकाओं के साथ–साथ प्रमाण–पत्रों/उपाधियों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियां साथ लानी होगी। यदि किसी परीक्षा, जो आपने उत्तीर्ण की है की उपाधि प्राप्त नहीं हो, तो संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
   (ख) आयु का प्रमाण–पत्रः–
   (1) साधारणतया आयोग हाई स्कूल/सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी के प्रमाण–पत्र में दी हुई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है। अतः आवेदक को चाहिए कि वह अपने हाई स्कूल/सैकण्डरी /सीनियर सैकण्डरी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उसकी जन्म दिनांक का उल्लेख हो फार्म के साथ संलग्न करें।
   (2) यदि आप निर्धारित अधिकतम् आयु सीमा से अधिक आयु के है और आयु सीमा में छूट चाहते है तो विज्ञापन में दिये गये आयु संबंधी जिस उपलब्ध के अन्तर्गत छूट चाहते है उस आशय का यथा राजस्थान सरकार के स्थाई कर्मचारी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्य व्यक्ति आदि का स्पष्ट प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ भेजे, अन्यथा इसके अभाव में आयु सीमा में छूट के प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

आयु संबंधी सामान्य नियम

1. आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के है, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते है, जिसे संबंध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है।
2. किसी वर्ग विशेष में निर्धारित छूट उस वर्ग विशेष के लिए रिक्ति में आरक्षित पद विद्यमान होने पर ही प्रदान किसे जाएंगे।
3. यदि किसी पद में महिला वर्ग के लिए रिक्ति नहीं है, तो उसे केवल उस पद/वर्ग के लिए निर्धारित सामान्य छूट ही प्रदान की जाएगी। अर्थात उसे उस वर्ग में पुरूष को देय छुट के अनुरूप ही छूट दी जाएगी।
4. आयु की गणना सामान्यता विज्ञाप्ति के अन्तर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1 जनवरी को की जाएगी।
5. उपरोक्त पैरा प्रावधान 1 से 4 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी/Non Cumulative है। अभ्यार्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेंगा।
6. यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमे ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा, यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकाय का/की नहीं हुआ/हुई है (यह छूट केवल वरिष्ठ प्रारूपकार पद पर ही मान्य)

   (ग) आचरण संबंधी प्रमाण–पत्र :– अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें –

   नोटः– स्थाई राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण–पत्र भेजने की आवश्कता नहीं है लेकिन इसके बदले में स्थाई राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, संलग्न करें।

   (घ) जाति प्रमाण–पत्र :– जो आवेदक राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के हो, उन्हे चाहिए कि वे इसके प्रमाण–स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें जो कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व और नवीनतम जारी हो, अन्यथा अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञाप्ति पदों हेतु देय नहीं होगा :–

   i District Magaistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commmissioner/Additional Deputy Commissioner Deputy Collector/Ist Class Stipendiary magistrate/City Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magisrate/ Extra Assistant Commmissioner. (Not below the rank of Ist Class Stipendiray Magistrate)

   ii. Chief presideney Magisrate/Additional chief presidency magistrate/presidency magistrate/ presidency magistrate.

   Iii Revenue officer not below the rank of tehsildar.

   Iv Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and /or his family normally resides.

   v Administrator/secretary to Admnistrator/Development Officers(Lakshadee Island).

   नोटः– (अ) सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति–पत्र मान्य नहीं है।

   (ब) जो आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के हो, वे उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण के संबंध में यह भी सुनिश्चित कर ले कि।

- निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र पर सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है।
- क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यार्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित पद व आवेदन–पत्र पर आवेदन करना होगा।

- अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र नवीनतम् होना चाहिए। आवेदक को आवेदन की अंतिम तिथि तक संबद्व वर्ग में होना चाहिए।
- प्रमाण–पत्र नियमानुसार माता–पिता की आय के आधार पर (विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी माता–पिता की आय के आधार पर) सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।

(ड़.) विशेष योग्य प्रमाण–पत्र– यदि आवेदक विशेषयोग्य व्यक्ति (Disahled Person) की श्रेणी में आता है वह इसके प्रमाण में राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40% या इससे अधिक विशेष्योग्यजन का प्रमाण–पत्र संलग्न करे अन्यथा आयोग द्वारा उसे विशेषयोग्यजन व्यक्ति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आवेदक निःशक्तता श्रेणी अनुसार निम्न कॉलम में सही का निशान मार्क करें :–

विशेषयोग्य श्रेणी	दृष्टिबाधित (A)			मूक बधिर (B)		LD/CP (C)						
विशेषयोग्य उपश्रेणी	पूर्णतः अंध	अंशत अंध	कमजोर दृष्टि	पूर्णतः अंध	अंशत	दोनों पैर	दोनों हाथ	हाथ पैर दोनों	एक पैर	एक हाथ	दोनों नितंब	मांसपेशीय दुर्बता
विशेषयोग्य												

(च) अनुभव सम्बन्धित प्रमाण–पत्र :– आप यदि कार्यरत है/थे, तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में में वांछित अनिवार्य अनुभव, यदि कोई हो तो उसके संबंध में चाहा गया स्पष्ट प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करे।

(छ.) विवाह सम्बन्धित प्रमाण–पत्र :– आप यदि विवाहित है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करें और यदि तलाकशुदा है तो भी इस संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीकृत लागू होने से पूर्व सम्पन्न होने के कारण पंजीकरण से छुट चाहता है तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित अपना शपथपत्र प्रस्तुत करे।

3. प्रत्येक प्रार्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उसे किसी प्रकार की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु तत्पर रहना होगा जो कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी उचित समझें।
4. आयोग किसी भी प्रार्थी को इस प्रकार का परामर्श नहीं देया कि वह किसी पद या राजकीय सेवा के लिये योग्य है या नहीं। ऐसे प्रश्नों यथा, आयु, शिक्षा, नागरिकता, निवास स्थान आदि के विषयों में प्रार्थी स्वयं विज्ञप्ति के साथ संबद्ध सेवा नियमों व राजकीय आदेशों में विस्तृत विवरण देख लें कि वे उसके अनुसार योग्यता रखते है या नहीं।
5. आवेदक को उसके आवेदन–पत्र के अन्तिम परिणाम को चाहे उसका चयन किया गया हो अथवा नहीं, आयोग द्वारा उचित समय पर सूचना दे दी जाएगी। इस हेतु पृथक से प्रयत्न करना आवश्यक नहीं है। यदि इस संबंध में कोई पत्र–व्यवहार किया गया तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
6. उक्त रिक्ति व नियुक्ति नियमों व शर्तो के अधीन है और उनके अन्तर्गत निरस्त की जा सकती है।
7. यदि कोई आवेदक जानबूझ कर असत्य बात लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और यदि राज्य सेवा में है, तो सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
राज्य स्तरीय नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) चयन सेवा आयोग
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302013

आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम फोटो

विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र
(आवेदक द्वारा दो प्रतियों में भरा जावें)

रोल नम्बर	आवेदन पत्र क्रमांक	विज्ञापन संख्या	पद का नाम		
आरक्षण वर्ग					
सामान्य	आर्थिक रूप से कमजोर	अन्य पिछड़ा वर्ग	अति पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
मूल निवास					
राज्य	जिला	तहसील	अन्य टिप्पणी		

अतिरिक्त विशेष श्रेणी (आवेदक संबंधित कॉलम में हॉ अंकित करे। शेष कॉलम में X का चिन्ह अंकित करेः–)

महिला			विशेषयोग्यजन			भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाडी
अविवाहित	विवाहित	विधवा	दृष्टिहीन / अल्प दृष्टि	मूक बधिर	अस्थिविकृत, एल.डी. / सी.पी.		

<u>सेवारत कर्मचारी</u>

राज्य सेवा कर्मचारी	पंचायती राज / सार्वजनिक निगम	विभागीय कर्मचारी	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी

1. आवेदक का पूरा नाम :

   (क) हिन्दी में : श्री / श्रीमती / कुमार...

   (ख) अंग्रेजी में (ब्लॉक लेटर्स में) Mr./Mrs/Miss--

2. (अ) पिता का नाम...(ब) माता का नाम..................................

3. आवेदक की जन्म तिथि............... / .... / ....

4. विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयुः वर्ष.........माह..........दिन......

5. नागरिकता :– भारतीय / अन्य................................

6. धर्म...............

7. वैवाहिक स्थिति

अविवाहित	विवाहित	विच्छिनविवाह परित्यक्ता	विधवा	विधुर

8. विवाह विवरण (विवाहित होने की स्थिति में)...

पति / पत्नी का नाम	विवाह तिथि	विवाह स्थान	पंजियन संख्या	पंजियन स्थान	पंजियन अधिकारी

9. सन्तान विवरण (विवाहित होने की स्थिति में)..

क्रं. सं.	जीवित पुत्र / पुत्री का नाम	जन्म दिनांक	क्रं. सं.	जीवित पुत्र / पुत्री का नाम	जन्म दिनांक
1			4		
2			5		
3			6		

10. कुल सन्तान संख्या	01.06.2002 से पूर्व	01.06.2002 से पश्चात

11. पत्र–व्यवहार का पता एवं पता (मय फोन / मोबाईल नम्बर) :–...

....

....

12. स्थाई निवास का पूरा पता :–...

....

....

13. (अ) शैक्षणिक योग्यता :–

परीक्षा जो उत्तीर्ण की है	परीक्षा जो उत्तीर्ण की है का नाम	प्राप्तांक / कुल अंक	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी / ग्रेड	वर्ष	ऐच्छिक विषय	कोर्स की अवधि	रोल नम्बर	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	रोल नम्बर क्रमांक
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

मैट्रिक / हाईस्कूल / सैकण्डरी										
हायर सैकण्डरी / सी. सैकण्डरी										
स्तानक (बी.ए. / बी. कॉम / बी.एस.सी. या अन्य)										
अधिस्नातक (बी.ए. / बी.कॉम / बी.एस. सी. या अन्य)										
डिप्लोमा										
अन्य कोई उपाधि										

(ब) इन्टर्नशिप (यदि लागू हो):– वर्ष..................माह............................दिन.......................

14. रजिस्टेशन विवरण (यदि लागू हो) :–

संस्था का नाम	रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की दिनांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	रजिस्ट्रेशन की दिनांक	मान्यता अवधि	विशेष विवरण

15. पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण (यदि उक्त पद हेतु विज्ञप्ति में कोई अनुभव आवश्यक हो) :–

विभाग / संस्था का नाम	संस्था का पंजीयन संख्या	पद जिस पर कार्य किया	अनुभव अवधि दिनांक से दिनांक तक	विशेष
कुल अनुभव				

16. अतिरिक्त विस्तृत सूचना :–

(1) यदि अपने पूर्व की सूचना (क्रं.सं. 15) से भिन्न भी कार्य किया है या कार्यरत है, तो उसका पूरा विवरण नीचे लिखें :–

पद का नाम	नियुक्ति अधिकारी का पदनाम एवं विभाग	पद ग्रहण करने की दिनांक	पद छोड़ने की दिनांक	स्थाई / अस्थाई / संस्थाइ	वेतनमान एवं मूल वेतन	संलग्नक संख्या

(2) यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते है, तो प्रमाण सहित संबद्ध का उल्लेख करें जिसके अन्तर्गत आप आयु सीमा में छुट प्राप्त करने के अधिकारी है। (संलग्न संख्या............................)

....

....

(3) यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता / अनुभव / पुरस्कार / पदक / विजय चिन्ह प्राप्त किया हो, जो कि इस पद के चयन में सहायक हो, तो उसका पूर्ण विवरण दें। (संलग्न संख्या............................)

....

....

(4) यदि आपको कभी आयोग अथवा बोर्ड द्वारा दण्डित / पदच्युत / ब्लैकलिस्ट / विवर्जित किया गया हो, तो उस परीक्षा का नाम, वर्ष एवं उसके कारण का उल्लेख करें।

विभाग	पद / परीक्षा का नाम	वर्ष	कारण

:– आवेदक द्वारा शपथयुक्त घोषणाः–

मैं एतद् शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियां व संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सम्पूर्ण है। मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि इस आवेदन–पत्र में दी गई कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाए, तो बोर्ड मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। मैने बोर्ड के उपबन्धों / नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया हे और मैं उनका पालन करने हेतु वचनबद्ध हूँ।

- मैंने अपने कार्यालय / विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि मैं इस पद / परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा / रही हूँ।
- मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ मेरे दिनांक–01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान है / नहीं है।
- जो लागू ना हो तो उसे काट दें।

स्थानः–..............................

थ्दनांकः–..........................

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

संलग्न सूची प्रपत्र–2

क्रं. सं.	संलग्न अभिलेख विवरण (स्वहरताक्षरित फोटो प्रति)	जारी क्रमांक व दिनांक	संलग्नक संख्या
1.	अंकपत्र–मैट्रिक/हाई स्कूल/सैकण्डरी		
2.	उपाधि/प्रमाणपत्र –मैट्रिक/हाई स्कूल/सैकण्डरी		
3.	अंकपत्र–हायर सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/इन्टरमीडिएट		
4.	उपाधि/प्रमाणपत्र–हायर सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/इन्टरमीडिएट		
5.	अंकपत्र–स्नातक– (बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी./बी.ई./बी.टैंक..............)		
6.	उपाधि/प्रमाणपत्र स्नातक–(बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी./बी.ई./बी.टैंक.............)		
7.	अंकपत्र अधिस्नातक (एम.ए./एम. कॉम/एम.एस.सी./एम.टैंक..............)		
8.	उपाधि/प्रमाणपत्र अधिस्नातक–(एम.ए./एम. कॉम/एम.एस.सी./एम.टैंक..........)		
9.	अंकपत्र डिप्लोमा		
10.	उपाधि/प्रमाणपत्र डिप्लोमा		
11.	अनुभव प्रमाणपत्र–		
12.	मूल निवास/विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र		
13.	जाति प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति. पिछड़ा वर्ग)		
14.	अन्य प्रमाणपत्र		
15.			
16.			

:– कार्यालय टिप्पणी :–

आवेदन पत्र में अंकित सूचना का संलग्न अभिलेखों की प्रति से मिलान किया गया और सही पाया गया/निम्न कमी पाइ गई (यदि कमी है तो कमी का स्पष्ट विवरण लिखें)..
....
....

हस्ताक्षर मय दिनांक
नामः...
पदनामः....................................

:– अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेक लिस्ट :–

	संबद्ध सूचना	**अभ्यर्थी संबद्ध कॉलम में टिक करे**		**कार्यालय हेतु**
01. शैक्षणिक योग्यता				
i	अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किन्तु समकक्ष	सर्वथा अनुरूप	उससे भिन्न	
ii	अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था, या उसके बाद प्राप्त किया है।	आवेदन की अंतिम तिथि 25.08.2021 तक प्राप्त	आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त	
02. श्रेणी/वर्ग				
i	अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेशपत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न श्रेणी में ?	उसी श्रेणी में	भिन्न श्रेणी में	
ii	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी मे आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ था ?	आवेदन की तिथि से पूर्व	आवेदन की तिथि के पश्चात्	
iii	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है ?	राजस्थान का मूल निवासी है	राजस्थान का मूल निवासी नहीं है	
iv	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, किन्तु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है ?	हाँ	नहीं	
03. अनुभव				
i	यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है, तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जुन शैक्षणिक योग्यता के	शैक्षणिक योग्यता के उपरान्त	शैक्षणिक योग्यता से पूर्व	

	उपरान्त किया है या उससे पूर्व ?			
ii	अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है, तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त किया है या उससे पूर्व ?	आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त	आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व	
iii	अनुभव संबंधी योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किन्तु समकक्ष है।	सर्वथा अनुरूप	उससे भिन्न, किन्तु समकक्ष	
03. आयु				
i	अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है ?	वर्ष	माह..................	दिन...............
ii	विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित की आयु सीमा	न्यूनतम्............	अधिकतम्.............	
iii	अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस–किस श्रेणी में मानता है ?	क्रं.सं.........................		

:– अधिकतम् आयु सीमा में विविध श्रेणियों/वर्गों के लिए देय छूट के सामान्य प्रावधानः–

क्रं.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम् आयु में देय छुट (वर्षो में)	अभ्यर्थी टिक करें	कार्यालय
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति. पिछड़ा वर्ग के पुरूष			
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़/अति पिछड़ वर्ग की महिला			
3.	सामान्य वर्ग की महिला			
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं		
5.	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रूप सेवारत	अधिकतम् आयु सीमा		
6	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिक (अधीनस्थ सेवा हेतु)	अधिकतम् आयु सीमा		
7.	भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट (प्रतिरक्षा सेवा के वे कर्मचारी जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया हो)	अधिकतम् आयु सीमा		
8.	सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारक भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट	अधिकतम् आयु सीमा		
9.	इस सेवा के किसी पद अस्थाइ नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आये सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे	अवसर तक		
10	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमोशण्ड ऑफिसर्स/शीर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे, तो उन्हे सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपसिीति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जाएगा	यदि लागू हो तो अंकित करें।		
11.	एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षक (इन्स्ट्रटर्स) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में (यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा)	इनके द्वारा एन.सी. सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर		
12.	पूर्वी अफ्रीकी देशेां के कीनिया तंजनिया उगान्डा और जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्ति (अधीनस्थ सेवा हेतु)	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं		
13.	स्न् 1971 में हयु भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति (अधीनस्थ सेवा हेतु)	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं		
14.	भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था।	कोई अधिकतम् आयु सीमा लागू नहीं		
15.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व चयोत्तर नहीं	कारावास में व्यतीत		

	था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में	अवधि के बराबर		
16.	कोई अन्य			

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :–

1. आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के है, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते है, जिसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है।
2. उक्त प्रावधानों में वर्णित आयु सीमा में छूट में प्रावधान असचयी (Non Cumulative) है अर्थात अभ्यर्थियों को किसी भी एक प्रावधान में अधिकतम आयु में छुट को लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर नहीं।

परिनिरीक्षा टिप्पणी (कार्यालय उपयोग हेतु)			
आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि		कार्यालय में आवेदन–प्राप्ति की तिथि	
आवेदक की श्रेणी व उपश्रेणी		आवेदक का मेरिट क्रमांक	
क्र. स	विवरण	हॉ	नही
1	क्या आवेदन–पत्र स्वहस्ताक्षरित व पूर्ण प्रविष्ठियॉ सहित प्राप्त हुआ है?		
2	क्या हस्ताक्षरित दो फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाये हुये है?		
3	क्या आवेदक भरी गयी श्रेणी (वर्ग) हेतु पात्र है?		
4	क्या आवेदक ने निर्धारित तिथि से पूर्व शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली है?		
5	क्या आवेदक वांछित अनुभव पूरा करता है?		
6	क्या आवेदक नियमानुसार आयु सीमा में है?		
7	आयु सीमा में छूट चाहने का कारण..		

अभिशंषा

8. आवेदक को स्पष्ट रूप से चयन हेतु अनुमत किया जाएः– हॉ/नहीं

9. निम्न कारणों से अस्थाई (सशर्त) रूप से चयन हेतु अनुमत किया जाए/अपात्र घोषित किया जाएः.......................................
....

हस्ताक्षर
(दस्तावेज परिनिरीक्षा अधिकारी)
मय दिनांक

नाम...
पदनाम.......................................